

अध्याय- IV

आइडिया सेलूलर लिमिटेड (आई सी एल) द्वारा राजस्व हिस्सेदारी

4.1 आई सी एल की संक्षिप्त रूपरेखा

मैसर्स आइडिया सेलूलर लिमिटेड (आई सी एल) आदित्य बिडला ग्रुप के अन्तर्गत एक कम्पनी है। प्रारम्भ में इसे बिरला कम्यूनिकेशन लिमिटेड के रूप में 1995 में निगमित किया गया था तथा इसने 1996 में मैसर्स ए टी एवं टी कारपोरेशन से संयुक्त उद्यम के बाद अपना नाम बदलकर मैसर्स बिरला ए टी एवं टी कम्यूनिकेशन लिमिटेड कर दिया। पुनः कम्पनी ने टाटा से आन्ध्र प्रदेश सर्कल लाइसेंस प्राप्त करके 2000 में अपना नाम बदलकर बिरला टाटा ए टी एवं टी (बटाटा) कर दिया। 2002 में, कंपनी ने अंततः अपना नाम बदलकर आइडिया सेलूलर लिमिटेड कर दिया और ब्रान्ड “आइडिया” प्रारम्भ किया। कम्पनी ने वर्ष 2004 व 2006 के दौरान क्रमशः एस्कोटेल (उत्तर प्रदेश पश्चिम, केरल एवं हरियाणा) तथा एस्कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश पूर्व, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश) को अधिग्रहित किया। कम्पनी ने 2009 में पूरे भारत में इसकी विद्यमानता स्थापित की। 1 मार्च 2010 से स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड का विलय आइडिया (पंजाब व कर्नाटक एलएसएज) के साथ हो गया।

4.1.1 आइडिया सेलूलर लिमिटेड (आई सी एल) को प्रदत्त लाइसेंस

आई सी एल के पास 31 मार्च 2015 को 22 सेवा क्षेत्रों में एक्सेस सेवा लाइसेंस थे। इसके पास दो एन एल डी लाइसेंस, एक आई एल डी लाइसेंस, एक आई एस पी लाइसेंस के अलावा आई पी आई पंजीकरण हैं।

4.1.2 आई सी एल को आवंटित स्पेक्ट्रम

आई सी एल एक जी एस एम ऑपरेटर है जो 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज व 2100 मेगाहर्ट्ज की बहुविधि आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम रखता है जिसमें स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड से प्राप्त किये गये तथा इसे क्रमिक बोली द्वारा खुली नीलामी में हासिल किये गये स्पेक्ट्रम की मात्रा भी शामिल है। 31 मार्च 2015 को आइडिया द्वारा धारित संयुक्त रेडियो/माइक्रोवेव, एक्सेस/माइक्रोवेव बैकबोन स्पेक्ट्रम की लाइसेंस क्षेत्रवार मात्रा निम्नलिखित थी:

तालिका 4.1

क्रम संख्या	लाइसेंस सेवा क्षेत्र	आवंटित मुख्य रेडियो स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज में)	एम डब्लू एक्सेस स्पेक्ट्रम	एम डब्लू बैकबोन स्पेक्ट्रम
			(मेगाहर्ट्ज में) ¹	
1	आन्ध्र प्रदेश	19.00	224	56
2	असम	5.00	112	56
3	बिहार	5.65	112	56
4	दिल्ली	13.60	448	0
5	गुजरात	12.80	168	112
6	हरियाणा	12.20	112	56
7	हिमाचल प्रदेश	9.40	112	56
8	जम्मू एवं कश्मीर	10.00	112	56
9	कर्नाटक (स्पाइस)	11.20	112	56
10	केरल	23.00	168	112
11	कोलकाता	5.00	112	0
12	मध्यप्रदेश	20.00	112	112
13	महाराष्ट्र	23.80	168	112
14	मुम्बई	6.40	168	0
15	उत्तर पूर्व	10.00	112	56
16	उड़ीसा	5.00	112	56
17	पंजाब (स्पाइस)	20.80	112	56
18	राजस्थान	6.20	168	112
19	तमिलनाडु	5.00	112	56
20	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	11.20	168	56
21	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	13.00	168	56
22	पश्चिम बंगाल	6.25	112	56

4.1.3 आई सी एल द्वारा बताये गये सकल राजस्व (जी आर), कटौती, समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) तथा भुगतान किया गया राजस्व शेयर

दूरसंचार सेवा प्रदाता के द्वारा स्व-मूल्यांकन के आधार पर ए जी आर की एक निश्चित प्रतिशतता पर लाइसेंस फीस (एल एफ) व स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार (एस यू सी) के रूप में तिमाही आधार पर भुगतान करना होता है। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अभिदाता बेस सहित आई सी एल द्वारा सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व तथा साझा की गयी राजस्व निम्नलिखित हैं:

¹ एक कैरियर = 56 मेगाहर्ट्ज

तालिका 4.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अभिदाता आधार (प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को) (करोड़ में)	सकल राजस्व	कटौती	समायोजित सकल राजस्व	लाईसेंस फीस (एल एफ)	स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (एस यू सी)
2010-11	8,95	17,859	4,993	12,866	1,108.53	560.36
2011-12	11,27	22,610	6,617	15,993	1,410.03	747.36
2012-13	12,16	26,153	8,138	18,015	1,593.08	857.16
2013-14	13,57	30,964	9,147	21,817	1,785.28	1,033.00
2014-15	15,78	36,797	10,301	26,496	2,167.28	1,258.05
कुल		1,34,383	39,196	95,187	8,064.20	4,455.93

4.2 आई सी एल द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग

जैसा कि पैरा 1.2 में उल्लिखित है, सकल राजस्व सभी प्रकार के राजस्व जैसा उसमें बताया गया है सम्बन्धित व्यय की खर्च के मदों आदि के किसी समायोजन के बिना शामिल होगा तथा जैसा कि पैराग्राफ 1.3 में बताया गया है, सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल दर्शाया जायेगा तथा कटौती/रिबेट का विवरण अलग दर्शाये जायेंगे।

आई सी एल की लेखा पुस्तकों/अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि कम्पनी ने निम्नलिखित मामलों में लाइसेंस करार के प्रावधानों का पालन नहीं किया:

4.2.1 प्रीपेड सेवाओं के लिये विक्रेताओं/अभिदाताओं को कमीशन/ऑफर/छूट से सम्बन्धित राजस्व का निबल (नेट-ऑफ) करने के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये, आई सी एल द्वारा प्रस्तुत प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित डाटा/अभिलेखों की जाँच से यह पाया गया कि:

- वितरकों/एजेन्ट को दिये गये कमीशन की प्रकृति के मार्जिन/कमीशन/कटौती को प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित राजस्व से निबल कर दिया गया था।
- अभिदाताओं को दिये गये आफॉर अर्थात् प्रमोशनल एयरटाईम, बोनस टॉक टाईम, प्रोमो बकेट, फ्री एयर टाईम/फ्लेक्सी रिचार्ज, फ्री टॉक टाईम/रिचार्ज फीस, पी सी ओ प्रमोशनल एयर टाईम/रिचार्ज फीस, एडमिन फीस रिफंड-प्रीपेड तथा पी सी ओ एवं निःशुल्क एस एम एस/मिनट्स/कालातीत कार्ड/नॉन-मूविंग कूपन प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित राजस्व से निबल कर दिये गये थे।

मदवार विवरण नीचे दिया गया है:

अ. मार्जिन/कमीशन

लाइसेंस प्राप्त कम्पनी कमीशन आधार पर दूरसंचार सेवायें के विक्रय हेतु वितरकों/फ्रेन्चाइजी/डीलर को नियुक्त करती है। कम्पनी वितरकों/फ्रेन्चाइजी/एजेन्ट को अभिदाताओं को बिक्री हेतु प्रीपेड रिचार्ज कूपन्स/ई-टॉप आप की आपूर्ति करती है तथा उन्हें कमीशन/ मार्जिन का भुगतान करती है। लेकिन कम्पनी ने जिस दर पर प्रीपेड सेवाओं के लिये छूट दी थी वह न तो वित्तीय प्रणालियों में थी न ही लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गये वितरक अनुबंधों में। उपरोक्त सूचना के अभाव में वर्ष 2009-10 के लिये उपलब्ध डाटा का संज्ञान लेते हुए लेखापरीक्षा ने छूट की दर इसके प्रीपेड राजस्व का ₹ 4.34 प्रतिशत निकाली। इस अनुपात को लागू करते हुये, लेखापरीक्षा में सम्मिलित किये गये पाँच वर्षों में निबल की गई राशि ₹ 3417.90 करोड़ अनुमानित थी।

कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2016) कि:

- कम्पनी ने वितरकों को उत्पाद, वितरक मार्जिन समायोजन के बाद की कीमत पर बेचे तथा राजस्व को वितरक से वसूली गई राशि के रूप में माना है।
- ए एस-9 के अनुसार, “नकदी का सकल अन्तर्प्रवाह” वितरक द्वारा भुगतान की गई राशि थी एवं ऐसा आर पी नहीं।
- टी डी सैट ने दिनांक 30 अगस्त 2007 के अपने आदेश में निर्धारित किया कि कम्पनी द्वारा वास्तव में वसूले गये राजस्व पर लाइसेंस फीस का भुगतान किया जाना था। टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के आदेश में भी निर्धारित किया कि वास्तविक बिक्री कीमत ही राजस्व होगी तथा ऐसा आर पी एवं बिक्री कीमत के बीच अन्तर को सकल राजस्व में जोड़ा नहीं जा सकता।
- ऐसा आर पी तथा वितरक के साथ सहमत कीमत के बीच अन्तर व्यापार छूट थी तथा इसे कमीशन नहीं कहा जा सकता था चूंकि वितरक ने इसे अर्जित नहीं किया था।

कम्पनी का उत्तर इस तथ्य पर स्वीकार्य नहीं है कि:

- लाइसेंस अनुबंध के अनुसार, जी आर में शामिल राजस्व सम्बन्धित खर्च के मद के समायोजन के बिना होगा। इसलिये, सकल राजस्व बताया जाना चाहिये तथा कमीशन/मार्जिन/कटौती व्यय के रूप में अलग से दर्शाई जानी चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अक्टूबर 2011 को टी डी सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय रद्द कर दिया था तथा दूरसंचार विभाग ने टी डी सैट के 23 अप्रैल 2015 के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।

उपरोक्त पर विचार करते हुये, कम्पनी का जी आर/ए जी आर ₹ 3417.90 करोड़ रु तक कम बताया गया था जिसके परिणाम में एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 285.95 करोड़ व ₹ 174.92 करोड़ कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 4.01)।

ब. प्रीपेड राजस्व पर ऑफर्स को निबल करना

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये प्रीपेड राजस्व के सम्बंध में आई सी एल की लेखांकन प्रणाली की जाँच में यह देखा गया था कि प्रीपेड अभिदाताओं को प्रमोशनल एयर टाईम, बोनस टॉक टाईम, प्रोमो बकेट, फ्री एयर टाईम/फ्लेक्सी रिचार्ज, फ्री टॉक टाईम/रिचार्ज फीस, पी सी औ प्रमोशनल एयर टाईम/रिचार्ज फीस, एडमिन फी रिफंड-प्रीपेड व पी सी औ तथा निःशुल्क एस एम एस/मिनट्स/कालातीत कार्ड/नानॅ मूविंग कूपन की प्रकृति के ऑफर्स दिये गये थे। ₹ 2798.65 करोड़ के इन ऑफर्स के मूल्य की कटौती प्रीपेड राजस्व से की गयीं पाई गई परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर के लिये ऐसे राजस्व की पहचान नहीं की जा सकी।

अभिदाताओं के लिये ऐसे ऑफर्स कारोबार को बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति का हिस्सा थे और ऐसे ऑफर्स व्यय की प्रकृति के थे। प्रीपेड राजस्व से ऑफर्स को समंजन करने की कम्पनी की कार्यवाही लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नहीं थी।

कम्पनी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि

- कुछ निश्चित प्रीपेड टैरिफ योजना के मामले में, यदि अभिदाताओं को विशिष्ट रिचार्ज वाउचर्स, मूल्य वर्ग द्वारा रिचार्ज करने पर फ्री एयर टाईम दिया गया था तो इस प्रकार की सभी टैरिफ योजना में राशियां जो वास्तव में अभिदाताओं द्वारा भुगतान की गई अंततः राजस्व के रूप में लेखांकित की गई। ऐसी सभी टैरिफ योजनायें ट्राई के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत थीं।
- चूंकि आई एन के साथ तालमेल बनाये रखने हेतु, फ्री एयर टाईम यूसेज के लिये राजस्व मासिक कट ऑफ में अधिक बताया गया था इसलिए लेजर में डेबिट थे ताकि इसे अभिदाता द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि बराबर लाया जाये।
- कुछ प्रकरणों में आवश्यकता के कारण डेबिट आये क्योंकि कुछ अन्य राजस्व शीर्ष में क्रेडिट दर्शाये जाने चाहिये थे। इस प्रकार अंतर-राजस्व समायोजनाओं का ए जी आर पर कोई प्रभाव नहीं था।
- ए एस 9 के अनुसार राजस्व, उपभोक्ताओं पर लगाये गये प्रभारों द्वारा मूल्यांकित किया जाना चाहिए तथा वसूल किया गया प्रकृति का होना चाहिए।
- कम्पनी अभिदाताओं को कारोबारी सम्बंधों के निर्माण हेतु विविध प्रमोशनल टैरिफ योजनायें देती है। तथापि, इन योजनाओं में सामान्य घटक यह है कि अतिरिक्त टाक टाईम बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के दिया गया था। ऐसी योजनाएं टैरिफ प्लान का एक भाग थीं तथा अतिरिक्त/प्रमोशनल टाक टाईम टैरिफ में स्वतः ही समाहित था। ऐसा अतिरिक्त/प्रमोशनल टाक टाईम केवल व्यापार डिस्काउंट की प्रकृति का था और इस प्रकार विशेष रिचार्ज वाउचर की बिक्री से वसूली गई शुद्ध दर रियायती थी। यह अनुचित होगा कि निःशुल्क टाक टाईम अथवा अतिरिक्त टाक टाईम पर लाइसेंस फीस, जो कि सांकेतिक है तथा आपरेटरों द्वारा वसूली नहीं गई है, प्रभारित की जाये।
- टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के अपने आदेश में निर्धारित किया कि “.....‘सकल राजस्व’ की गणना किये जाने के उद्देश्य से, अन्तर्प्रवाह मद सांकेतिक नहीं अपितु वास्तविक होनी चाहिये।”

इस तथ्य के कारण उत्तर स्वीकार्य नहीं है कि

- अभिदाताओं को दिये गये प्रमोशनल ऑफर्स व्यवसाय एवं व्यय की राशि बढ़ाने हेतु वाणिज्यिक रणनीति का हिस्सा थे। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा का मत है कि एयरटाईम एक निःशुल्क वस्तु नहीं है, उसका स्वाभाविक मूल्य है तथा एफएटी/एफटीटी/एफओसी आदि देने के कारण लाईसेंस धारक इनको अलग से खर्च के रूप में दर्ज करने के बजाय राजस्व छोड़ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप एलएफ एवं एसयूसी के भुगतान से बचा गया।
- अंतर-राजस्व समायोजन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं माने गये।
- टैरिफ के अनुसार तथा ग्राहक/एजेन्ट को प्रमोशन के रूप में दिये गये प्रमोशनल एयरटाईम, बोनस टॉकटाईम प्रोमो बकेट, फ्री एयरटाईम/फ्लेक्सी रिचार्ज, फ्री टॉक टाईम/रिचार्ज, फीस पी सी ओ प्रमोशनल एयरटाईम/रिचार्ज फीस के विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये थे।
- दूरसंचार विभाग ने टी डी सैट के दिनांक 23 अप्रैल 2015 आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।

एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी आदि की राशि पर विचार न करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 2798.65 करोड़ से कम बताया गया तथा एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 234.65 करोड़ एवं ₹ 147.44 करोड़ कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 4.02)।

4.2.2 पोस्टपेड राजस्व को निवल करने के कारण राजस्व को कम बताना

पोस्टपेड राजस्व के सम्बंध में, 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये, आई सी एल के लेखांकन प्रणाली की संवीक्षा में यह देखा गया कि राजस्व जी एल कोड समायोजन, वेवर, प्रमोशनल एयर टाईम पी से पी, बहुतायत में एस एस, सिम्स बिल्ड टू चैनल, कटौती, बी एस सी एस समायोजन, बी ए एस कटौती आदि का विवरण दर्शाने वाली संख्याओं से डेबिट किये गये थे। अलग से व्यय के रूप में लेखांकित करने के बजाय ये मदों राजस्व से निबल कर दी गई थीं। राजस्व मद से इस प्रकार कुल निबल की गई राशि ₹ 181.27 करोड़ बनती थी।

ये प्रस्ताव/समायोजन कारोबार बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति के भाग थे और व्यय की प्रकृति के थे। पोस्टपेड राजस्व से उपरोक्त मदों के निवलीकरण की कम्पनी की कार्यवाई लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नहीं थी तथा परिणाम यह हुआ कि सकल राजस्व कम बताये गये।

कम्पनी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि

- राशियाँ जिन्हें ऐसी वेवर (माफी), छूट व रिबेट के कारण बिल में क्रेडिट किया गया कम्पनी की हानियाँ हैं और इसे राजस्व नहीं माना जा सकता। आधारभूत सिद्धांत यह है कि लाइसेंस फीस का भुगतान वसूली योग्य राजस्व पर किया जाना चाहिये तथा यह अनुचित होगा कि ए जी आर की गणना के प्रयोजन हेतु इस प्रकार की राशि को सांकेतिक रूप से जोड़ा जाये।
- कम्पनी सम्बन्धित बहीखातों में गलत प्रभार करने के कारण बाद के बिलों में अभिदाताओं को दिये गये क्रेडिट दर्शाने के आधार का अनुसरण करती है। इन मदों ने “सम्बन्धित मदों के निबल खर्चों” की राशि को नहीं बनाया।

- ए.एस-9 के अनुसार, राजस्व को सामान की बिक्री से प्राप्त रोकड़ अथवा सेवाएँ देने के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है। रिबेट तथा माफी के ऐसे प्रकरण में ऐसी कोई वसूली नहीं थी।
- राजस्व शेयर के लिये कुछ कान्द्रा प्रविष्टियों, समायोजनाओं, कर्मचारियों की बिलिंग में प्रतिवर्ती प्रविष्टियों पर भी लेखापरीक्षा द्वारा विचार किया गया था।
- टी.डी सेट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय अनुसार, ‘कटौती, माफी अथवा सदृश्य समायोजन’ जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा का मत है कि माफी, छूट एवं रिबेट व्यय की मद्दें थी। टी.डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने 11 अक्टूबर 2011 को खारिज कर दिया था।

उत्तर के आधार पर जी आर/ए जी आर की पुनर्गणना ₹ 174.26 करोड़ हुई तथा इस राशि को राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु विचार नहीं करना एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 14.20 करोड़ एवं ₹ 8.81 करोड़ में परिणीत हुआ (अनुलग्नक **4.03**)।

4.2.3 रोमिंग राजस्व का नेटिंग ऑफ

रोमिंग राजस्व के सम्बंध में, 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये, आई सी एल की लेखांकन प्रणाली की जाँच से पता चला कि राजस्व जी एल कोड इंटर ऑपरेटिव टैरिफ (आई ओ टी) डिस्काउंट के साथ डेबिट किये गये/घटाये गये थे। व्यय के रूप में अलग से लेखांकित करने के बजाय इन मदों को राजस्व से निवल कर दिया गया था। राजस्व से इस प्रकार निवल की गई कुल राशि ₹ 131.73 करोड़ को जी आर/ए जी आर हेतु विचार नहीं किया गया था।

अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था रखना दो सम्बन्धित ऑपरेटरों के मध्य आपसी अनुबंध का मामला था और रोमिंग के लिये सहमत प्रभार के अतिरिक्त छूट देना दो ऑपरेटरों के बीच व्यवसाय बढ़ाये जाने वाले समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग था। इस प्रकार ये छूट व्यय की प्रकृति की थीं। रोमिंग राजस्व से उपरोक्त कटौती समायोजित करने की कम्पनी की कार्यवाही लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध थी।

कम्पनी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि

- ऐसी कटौतियां मात्रा आधारित हैं तथा कम्पनी के नेटवर्क में उनके अभिदाताओं द्वारा रोमिंग अवधि की मात्रा से जुड़ी हैं। ये कटौती स्लैब आधारित हैं तथा कम्पनी द्वारा अन्य ऑपरेटर से वार्तव में वसूला गया राजस्व, डिस्काउंट देने के बाद है। अतः ऐसी रोमिंग छूट व्यापार डिस्काउंट हैं तथा कम्पनी की व्यापार छूट को घटाकर रोमिंग राजस्व मानने की कार्यवाही निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप थी।
- जब छूट दी गयी उसने रोमिंग राजस्व को कम किया। उसी प्रकार जब प्राप्त की गयी उसने आउट रोमिंग के लिये भुगतान योग्य राशि को कम कर दिया इससे ए जी आर अधिक हो गया।

- यह मत कि ऐसी मात्रा/व्यापार छूट का राजस्व से किया गया निबलीकरण जी आर में वापस जोड़ा जाना चाहिये, गलत तथा लेखांकन मानकों के विरुद्ध था।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रोमिंग के लिये सहमत प्रभारों से और अधिक छूट देना दो ऑपरेटरों के मध्य व्यवसाय बढ़ाने के लिए समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग था; अतएव ऐसी छूट व्यय की प्रकृति की थी। चूंकि लाइसेंस अनुबंध कोई नेटिंग ऑफ की अनुमति नहीं देता ऐसे खर्च को घटाया नहीं जा सकता तथा इसलिए जी आर में सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

उत्तर के आधार पर, पुनर्गणना में कम बताया गया जी आर/ए जी आर ₹ 127.55 करोड़ आया। परिणामस्वरूप, एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 10.96 करोड़ एवं ₹ 6.33 करोड़ से कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 4.04)।

4.2.4 अवसंरचना शेयरिंग राजस्व पर विचार न करना

आई सी एल द्वारा धारित दूरसंचार अवसंरचना (टावर, नेटवर्क, उपस्कर आदि) अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ साझा किये जा रहे थे। आई सी एल ने अवसंरचना शेयरिंग के लिये अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ करार किये।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये अवसंरचना शेयरिंग प्रभारों से सम्बन्धित डाटा/अभिलेखों की ओरेकल लेखांकन समीक्षा से पता चला कि किराया, ईंधन (डीजल), बिजली, प्रचालनात्मक एवं अनुरक्षण, बीमा, सुरक्षा व निगम कर के मद में वसूल किये गये अवसंरचना शेयरिंग प्रभार ₹ 437.11 करोड़ व्यय शीर्ष से निबल कर दिये गये थे तथा इसीलिये सकल राजस्व में शामिल नहीं किये गये।

कम्पनी ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- अवसंरचना उपयोग के लिये केपेक्स लागत हेतु प्रभार बीजक में लिखे गये थे तथा पूँजीगत लागत के आधार पर थे। ए एस 9 के अनुसार ये किराया राजस्व थे तथा ए जी आर का भाग हैं।
- व्यय की प्रतिपूर्ति ऐसे व्यय थे जो प्रचालन हेतु स्थल किराया, ईंधन, सुरक्षा, ए एम सी लागत व मरम्मत के लिये किये गये थे तथा जिसकी शेयरिंग पार्टी से आनुपातिक वसूली वास्तविक लागत खर्च पर आधारित की जानी थी। ए एस 29 के पैरा 46 व 47 में उल्लिखित ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति आय नहीं बना सकती।
- प्रचालन व्यय की प्रतिपूर्ति को विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह ऐसा प्रकरण नहीं था जहां कोई राजस्व मदें तथा लागत मदें निबल किये गये थे तथा राजस्व कम अथवा रिकार्ड नहीं किया गया था। यह एक ऑपरेटर द्वारा प्रचालनात्मक लागत के रूप में लागत की प्रतिपूर्ति का प्रकरण था लेकिन एक से अधिक ऑपरेटर द्वारा शेयर किया जाना था तथा इसलिये एक ऑपरेटर द्वारा दूसरे ऑपरेटर से शेयर की लागत के इस प्रकार का भुगतान राजस्व नहीं माना जा सकता।

इस तथ्य पर उत्तर मान्य नहीं है कि:

- लाइसेंस अनुबंध के अनुसार जी आर से अवसंरचना की अनुमत्य शेयरिंग से प्राप्त राजस्व को व्यय के सम्बन्धित मद को समंजन किये बिना विशेष रूप शामिल करता है तथा लाइसेंस अनुबंध अवसंरचना की शेयरिंग से प्राप्त कैपेक्स एवं ओपेक्स राजस्व के मध्य कोई अंतर नहीं करता है। इसलिए अवसंरचना शेयरिंग से राजस्व का व्यय के विरुद्ध समंजन अनुमत्य नहीं है।
- लेखा परीक्षा का मत है कि डीजल खर्च, सुरक्षा खर्च, प्रचालनात्मक एवं अनुरक्षण खर्च एंव विद्युत प्रभार की ओर से राजस्व प्रतिपूर्ति नहीं होता क्योंकि इन्हें खर्च किया जाना था चाहे टावर शेयर किये गये थे नहीं। वास्तव में, व्यय की साझेदारी कर कम्पनी को अतिरिक्त आय से लाभ हुआ।
- लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अवसंरचना की अनुमत्य साझेदारी से प्राप्त राजस्व, व्यय के संबंधित मद को समंजन किये बिना जी आर में विशेषरूप से शामिल करता है। इसलिये, अवसंरचना साझेदारी से प्राप्त राजस्व का व्यय के विरुद्ध समंजन अनुमत्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस अनुबंध केवल तीन अनुज्ञेय कटौती की अनुमति देता है तथा अवसंरचना साझेदारी से संबंधित ऐसी कोई कटौती अनुमत्य नहीं है।

उत्तर के आधार पर, जीआर को कम बताने की संशोधित धनराशि ₹ 403.14 करोड़ थी तथा इस राशि का राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु विचार नहीं करना एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 34.92 करोड़ एवं ₹ 24.03 करोड़ में परिणीत हुआ (अनुलग्नक 4.05)।

4.2.5 आइडिया (एन एल डी) व आइडिया (एल एस ए) के मध्य स्विच शेयरिंग से प्राप्त राजस्व का जी आर/ए जी आर के लिये विचार न करना

आइडिया के एक लाइसेंस क्षेत्र/परिमंडल से अन्य क्षेत्र/परिमंडल में कॉल आइडिया एन एल डी लाइसेंसधारक द्वारा पहुंचाई गई थीं। आइडिया यू ए एस एल/सी एम टी एस लाइसेंसधारक ने एन एल डी लाइसेंसधारक से स्विच साझा किया तथाएन एल डी लाइसेंसधारक ने सम्बन्धित एल एस ए को इसके लिए भुगतान किये।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिये ओरेकल वित्तीय प्रणाली की जाँच में यह पाया गया कि आइडिया एन एल डी ने स्विच साझा करने हेतु सभी 22 एल एस ए को ₹ 161.19 करोड़ का भुगतान किया। हालांकि, एल एस ए के स्विच शेयरिंग व्यय के विरुद्ध एन एल डी से प्राप्त भुगतानों का राजस्व के रूप में लेखांकन करने के बजाय क्रेडिट किया। व्यय के विरुद्ध राजस्व का निवलीकरण लाइसेंस शर्तों के अनुरूप नहीं था और उपरोक्त दो वर्षों के लिये आई सी एल के जी आर ₹ 161.19 करोड़ कम बताने में परिणीत हुआ। वर्ष 2012-13 से आगे आइडिया एन एल डी अपने स्विचों का उपयोग कर रहा था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि:

- एन एल डी सेवायें लम्बी दूरी के यातायात की रूटिंग के लिये अन्य एल एस ए के स्विच का उपयोग कर रही थीं। चूंकि इन स्विचों को सम्बन्धित एल एस ए के लेखाबहियों में पूंजीगत किया गया है, सभी अनुरक्षण, मरम्मत एवं हास व्यय भी सम्बन्धित एल एस ए में ही किये गये

एवं स्वयं लेखांकित किये गये। अतः प्रत्येक प्रभाग का उचित लाभ दर्शाने हेतु, ऐसे एल एस ए को स्विच के उपयोग हेतु एन एल डी प्रभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थी।

- कम्पनी ने यह भी बताया कि प्रतिपूर्ति को राजस्व नहीं माना जा सकता और यह उल्लेख करना उचित नहीं था कि कम्पनी द्वारा लाइसेंस अनुबंध का कोई उल्लंघन किया गया था।

प्रबन्धन का उत्तर स्वतः कहता है कि एल एस ए को उनके स्विचों के उपयोग करने हेतु एन एल डी द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही थी तथा इसलिए यह अवसंरचना साझेदारी प्रकृति का था। लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार जी आर, अवसंरचना की अनुमत्य साझेदारी से प्राप्त राजस्व को किसी सम्बन्धित व्यय के मद को समजन किये बिना शामिल करता है। इस प्रकार एल एस ए द्वारा एन एल डी शाखा से प्राप्त वास्तविक राशि उनके लेखों में राजस्व के रूप में दर्शाई जानी चाहिए थी तथा जी आर/ए जी आर हेतु विचार में ली जानी थी। एन एल डी प्रभाग से स्विच साझेदारी से प्राप्त राजस्व का क्रेडिट के रूप में एल एस ए द्वारा लेखा के व्यय शीर्ष में बुक करना यू ए एस एल अनुबंध के अन्तर्गत अनुमत्य नहीं था।

अवसंरचना साझेदारी राशि का विचार न करना जीआर/एजीआर का ₹ 161.19 करोड़ कम बताने में तथा एल एफ एवं एस यू सी क्रमशः ₹ 14.67 करोड़ एवं ₹ 7.13 करोड़ के कम भुगतान में परिणीत हुआ (अनुलग्नक 4.06)।

4.2.6 आई सी एल द्वारा अव्यवहार्य अधिकार उपयोग (आई आर यू) पर दिये गये परिसम्पत्तिओं से प्राप्त राजस्व को जी आर/ए जी आर में शामिल करने के लिए विचार न करना

आई सी एल की एन एल डी सेवाओं के सम्बन्ध में पैसिव अवसंरचना (पी आई) से सम्बन्धित द्रायल बैलैन्स तथा लेखांकन प्रविष्टियों की 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये जाँच में यह पाया गया था कि ₹ 109.24 करोड़ की राशि अव्यवहार्य अधिकार उपयोग (आई आर यू) राजस्व के रूप में लेखांकित की गई थी। यह राजस्व विभिन्न अन्य ऑपरेटरों को आई आर यू आधार पर दिये गये ऑप्टीकल फाइबर केबिल (ओ एफ सी) से उपार्जित हो रहा था। तथापि, इस राजस्व को जी आर/ए जी आर में शामिल करने हेतु विचार नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि वह अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I पंजीकरण धारित करता था। उल्लेखित राजस्व आई सी एल के पी आई प्रभाग से सम्बन्धित था तथा आई आर यू के अन्तर्गत अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर को ऑप्टीकल फाइबर केबिल (ओ एफ सी) की बिक्री से लेखाबद्ध किया गया था। लाइसेंस शर्तों के अनुसार, कम्पनी सभी लाइसेंसों के लिये अलग से लेखा पुस्तकों को बना रही है और तदनुसार आई पी-I लाइसेंस से सम्बन्धित लेन-देन ऑरेकल वित्तीय प्रणाली में “पैसिव अवसंरचना डिविजन” नामक अलग लेखा पुस्तकों में लेखित किये जा रहे थे। आई सी एल के लाभ-हानि लेखों को तैयार करने के लिए ऐसा आई आर यू राजस्व, सेवा राजस्व के अन्तर्गत दर्शाया गया था लेकिन चूंकि इस राजस्व पर कोई लाइसेंस फीस लागू नहीं थी अतः यह राजस्व शेयर (एल एफ) के गणना हेतु जी आर/ए जी आर में विचारित नहीं किया गया था।

इस तथ्य पर विचार करते हुए उत्तर मान्य नहीं है कि राजस्व आई आर यू के तहत ओ एफ सी की बिक्री से था तथा इसलिए एन एल डी लाइसेंस के अन्तर्गत सम्मिलित गतिविधियों के सदृश्य था।

अतएव, आई आर यू राजस्व ₹ 109.24 करोड़ का विचार न किया जाना लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नहीं है तथा जी आर/ए जी आर के कम बताने तथा तदनुसार एलएफ के कम भुगतान ₹ 8.08 करोड़ में परिणीत हुआ (अनुलग्नक 4.07)।

4.2.7 जी आर/ए जी आर हेतु फोरेक्स गेन के राजस्व की कम रिपोर्टिंग

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार जी आर किसी भी अन्य विविध राजस्व के सहित होगा। ओरेकल वित्तीय प्रणाली के माध्यम से की गई लेखांकन की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिये प्राप्त किया गया विनिमय लाभ ₹ 244.98 करोड़ था। तथापि, कम्पनी ने राजस्व शेयर के भुगतान के लिये गणना किये गये जी आर/ए जी आर में शामिल करने हेतु विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ, जैसाकि लाइसेंस शर्तों में अपेक्षित था, पर विचार नहीं किया था।

जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 2.2.5 में वर्णित है लेखापरीक्षा प्रत्येक मद की मूल कीमत के अभाव में प्रतिवर्ष प्राप्त लाभ के तहत लेखांकित किये गये मदों का वास्तविक मूल्य नहीं ज्ञात कर सका। ऑपरेटर को लेखों के मूल मूल्य के सन्दर्भ में प्रत्येक मद के लाभ की गणना करनी चाहिए तथा कुल फोरेक्स लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिए।

कम्पनी द्वारा उत्तर दिया गया (सितम्बर 2016) कि:

- लेखापरीक्षा ने लाइसेंस अनुबंध के खंड 19.1 को यह मानने के लिये संदर्भित किया है कि विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का लाभ जी आर का भाग होना चाहिये। जी आर को परिभाषित करने हेतु खंड 19.1 में प्रयुक्त शब्द मुख्यत लाइसेंसी के वे अर्तप्रवाह अर्थात् उन प्रभारों, फीस, प्राप्तियों एवं राजस्व से सम्बन्धित तथा समाहित करते हुए राजस्व हैं तथा वह राजस्व जो प्रतिफल पाने के लिए सेवा एवं वस्तुओं की इनवाइस बनाने में लिया जाता है और जो लाइसेंसी के सेवा राजस्व का भाग है।
- दायित्व बुकिंग की तारीख व भुगतान की तारीख में विदेशी मुद्रा दर के अन्तर से उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ, खंड 19.1 के तहत उल्लिखित सकल राजस्व का भाग नहीं हो सकता।
- देनदारियों के पुनः कथन के कारण पूँजीगत उपकरणों एवं विदेशी मुद्रा ऋण से हुए विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव जो बाजार को मार्क या किसी क्लोजिंग तिथि के अन्त में हेज की गयी क्लोजिंग दर के कारण था, राजस्व नहीं था। विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों का सेवा प्रदाता के राजस्व से कोई सम्बन्ध नहीं है। फोरेक्स उतार चढ़ाव के ए जी आर में प्रभाव को, चाहे उपर या नीचे, अनदेखा करना चाहिये। यह भी कहा गया था कि बताई गई किसी अवधि में विनिमय लाभ तथा विनिमय हानि अलग कर नहीं देखी जा सकती। यदि प्रयुक्त शब्द केवल लाभ था तो गणितीय रूप से हानि को ऋणात्मक लाभ के रूप में दर्ज करना चाहिये।
- राजस्व मान्यता पर लेखा मानक 9 के अनुसार, विदेशी विनिमय लाभ राजस्व नहीं था।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार जी आर किसी भी अन्य विविध राजस्व के सहित होगा तथा लेखापरीक्षा का मत है कि पी एस पी को कोई भी प्रासंगिक लाभ जी आर हेतु विचार किया जाना चाहिए।
- कम्पनी लेखांकन के लिये वाणिज्यिक तरीके अपनाती रही है तथा लेखांकन के वाणिज्यिक सिद्धांत के अनुसार “लाभ/हानि” की गणना सभी उपर्युक्त प्राप्तियों तथा व्यय को हिसाब में लेने व दो भिन्न तिथियों पर व्यापारिक सम्पत्तियों की तुलना करने के बाद की जानी है। लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली के अन्तर्गत विनिमय भिन्नता के कारण उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ (राजस्व)/हुई हानि (व्यय) तार्किक है तथा इसे आकस्मिक/सांकेतिक प्रकृति का नहीं माना जा सकता है। पुनः लेखापरीक्षा ने केवल प्राप्त किये गये लाभ पर विचार किया है।
- एएस-9 में केवल यह वर्णित करता है कि विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के कारण प्राप्त किये गये अथवा प्राप्त न किये गये लाभ और विदेशी मुद्रा वित्तीय विवरणी के रूपांतरण से उद्भूत समायोजन राजस्व की परिभाषा में ए एस-9 के प्रयोजन हेतु शामिल नहीं किये गये थे। फोरेक्स गेन से लाभ/हानि का निरूपण ए एस-11 अन्तर्गत शामिल है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, जी आर/ए जी आर में ₹ 244.98 करोड़ की राशि कम बतायी गयी थी और परिणामतः एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 21.30 करोड़ तथा ₹ 10.97 करोड़ से कम हआ (अनुलग्नक 4.08)।

4.3 राजस्व विवरणों व एल एफ (ए जी आर विवरणी) में राजस्व कम बताये गये यद्यपि लेखा पुस्तकों में प्रतिवेदित किया गया

4.3.1 जी आर/ए जी आर के लिये ब्याज की आय पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध के अनुसार राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान उद्देश्य हेतु जी आर ब्याज से प्राप्त आय को सम्मिलित करके होगा। कारपोरेट तथा एल ए के जी एल कोड में ब्याज की आय के सम्बन्ध में ओरेकल प्रणाली के लेखों की 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये जांच से पता चला कि ₹ 298.32 करोड़ रु. की राशि ब्याज आय के रूप में लेखांकित की गई थी लेकिन राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने हेतु जी आर/ए जी आर में इसे शामिल करने के लिए विचार नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि कारपोरेट कार्यालय द्वारा ट्रेजरी कार्य से अर्जित आय, दूरसंचार गतिविधियों के अभिदाताओं से उद्भूत नहीं हो रहा थी। कारपोरेट कार्यालय के लेन-देन हेतु कम्पनी द्वारा अलग लेखे बनाये गये थे और जैसा कि कम्पनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित है, वार्षिक लेखों को तैयार करने के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र में बनाये जा रहे लेखों के साथ ये लेखे सम्मिलित किये गये थे। कम्पनी ने आगे कहा कि टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुरूप एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान की गणना हेतु यह राशि शामिल नहीं की गई थी।

ब्याज आय को ए जी आर के लिए सम्मिलित न करने का प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टी डी सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के उपरान्त अमान्य हो गया। साथ ही लाइसेंस अनुबंध में जी आर की परिभाषा राजस्व भागेदारी में जीआर/एजीआर की गणना हेतु ब्याज आय को सम्मिलित करना प्रदान करती है।

₹ 298.32 करोड़ के राजस्व पर विचार न करना जी आर/ए जी आर को कम बताने तथा एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 24.30 करोड़ तथा ₹ 13.19 करोड़ में परिणीत हुआ (अनुलग्नक 4.09)।

4.3.2 जी आर/ए जी आर में शामिल करने हेतु निवेश की बिक्री से लाभ का विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व लाइसेंस धारक द्वारा दी गई समस्त सेवाओं से उपार्जित राजस्व को जिसमें ब्याज, लाभांश आदि तथा कोई अन्य विविध राजस्व, सम्बन्धित व्यय की मद आदि के कोई समंजन बिना होगा, सम्मिलित कर होगा। इसके अतिरिक्त राजस्व एवं लाइसेंस फीस (ए जी आर विवरणी) के विवरणी की मद संख्या 4 जो कि यू ए एस एल अनुबंध का अविभाज्य भाग थी “निवेश से आय” को प्रतिबिम्बित करती है।

2010-11 से 2014-15 की अवधि की लिये आई सी एल के वार्षिक लेखों की अनुसूचियों के अवलोकन में यह देखा गया कि निवेश की बिक्री से ₹ 593.25 करोड़ का लाभ दर्शाया गया था। ये आय मुख्यतया म्युच्युल फंड्स तथा बांड्स में निवेश की बिक्री से प्राप्त लाभ हैं। लेकिन, आय को जी आर/एजीआर में सम्मिलित करने हेतु विचार नहीं किया गया था।

कम्पनी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि कारपोरेट कार्यालय द्वारा ट्रेजरी कार्य के माध्यम से अर्जित ये आय, दूरसंचार गतिविधियों के अभिदाताओं से उद्भूत नहीं हो रही थीं। कारपोरेट कार्यालय के लेन-देन के लिये कम्पनी द्वारा अलग से लेखे बनाये गये हैं तथा जैसा कि कम्पनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित है, वार्षिक लेखे तैयार करने के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिये बनाये जा रहे लेखों के साथ ये लेखे सम्मिलित किये गये हैं। कम्पनी ने यह भी बताया कि टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुरूप, निवेश की बिक्री से हुए लाभ पर एल एफ व एस यू सी का भुगतान नहीं किया गया था।

निवेश से आय को जी आर के लिए सम्मिलित न करने का प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टी डी सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के उपरान्त अमान्य हो गया। इसके अतिरिक्त लाइसेंस अनुबंध राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने में निवेश से आय को जी आर/ए जी आर में सम्मिलित करना प्रदान करता है।

निवेश की बिक्री से आय ₹ 593.25 करोड़ पर विचार न करने के परिणामस्वरूप जी आर/एजीआर कम बताया गया तथा तदनुसार एल एफ एवं एस यू सी क्रमशः ₹ 48.02 करोड़ एवं ₹ 26.70 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 4.10)।

4.3.3 जी आर/ए जी आर में समावेशन हेतु विविध राजस्व का विचार न करना

लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व बिना सम्बन्धित व्यय की मद आदि का समंजन किये ब्याज, लाभांश तथा कोई अन्य विविध राजस्व के प्राप्त राजस्व को सम्मिलित कर होगा। 2010-11 से

2014-15 की अवधि के लिये वार्षिक लेखों की अनुसूचियों का अवलोकन करने तथा ओरेकल लेखांकन प्रणाली में सम्बन्धित जी एल कोड की जांच से यह पाया गया था कि विविध आय, स्टेल चैक क्रेडिट, विविध प्राप्तियाँ तथा विक्रय राजस्व-सामग्री (इन्वेन्टरी) के अन्तर्गत ₹ 19.39 करोड़ दर्ज किये गये थे।

तथापि, इस राजस्व का भारत सरकार को देय राजस्व शेयर की गणना करने हेतु सकल राजस्व में सम्मिलित करने हेतु विचार नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि विविध आय जैसे स्कैप बिक्री, स्टेल चैक क्रेडिट, आदि व्यवसाय के लिए आकस्मिक थे तथा इनका दूरसंचार प्रचालन, जिसके लिये कम्पनी को लाइसेंस दिया गया, से कोई सम्बन्ध नहीं था। कम्पनी ने यह भी बताया कि टी डी सैट ने दिनांक 7 जुलाई 2006 के अपने निर्णय में कहा है कि लाइसेंसयुक्त गतिविधियों से अर्जित राजस्व पर ही लाइसेंस फीस का भुगतान किया जायेगा। कम्पनी ने आगे बताया कि टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुसार, विविध आय ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जी आर की परिभाषा यह प्रदान करती है कि राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु जी आर में विविध आय का समावेशन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तथाकथित टी डी सैट के निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय ने रद्द कर दिये थे।

राजस्व शेयर के लिये विविध आय पर विचार न करना ₹ 19.39 करोड़ के जीआर/एजीआर कम बताने तथा परिणामतः एल एफ व एस यू सी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 1.70 करोड़ एवं ₹ 0.98 करोड़ में परिणीत हुआ (अनुलग्नक 4.11)।

4.3.4 अचल सम्पत्ति की बिक्री में लाभ से आय का जी आर/ए जी आर के लिए विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व बिना सम्बन्धित व्यय की मद आदि का समंजन किये ब्याज, लाभांश तथा कोई अन्य विविध राजस्व के कारण राजस्व को सम्मिलित कर होगा। आई सी एल द्वारा 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए प्रस्तुत किये गये डाटा/अभिलेखों की जांच से पता चला कि अचल सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ ₹ 10.22 करोड़ को जी आर/ए जी आर की गणना के लिए विचार नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुसार, “.....अचल सम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्त राजस्व जो पूँजीगत प्राप्तियों की प्रकृति का था तथा बीमा दावे सकल राजस्व का भाग नहीं होने चाहिये.....” और इसलिये लेखापरीक्षा के इस मत को कि अचल सम्पत्ति के विक्रय से लाभ को सकल राजस्व का भाग होना चाहिये, नहीं मानते। कम्पनी ने यह भी बताया कि उसने अचल सम्पत्ति के विक्रय से लाभ/हानि को भली भांति लेखाबद्ध कर दिया था तथा सम्बन्धित वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदनों से संदर्भित की जा सकती थी।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध हिस्सेदारी की गणना करने हेतु विविध राजस्व/आय को जीआर/एजीआर में समावेशित करना प्रदान करते हैं तथा सम्पत्ति/रद्दी (कबाड़) की बिक्री पर लाभ विविध राजस्व के रूप में था। इसके अतिरिक्त, टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11 अक्टूबर 2011 द्वारा रद्द कर दिया था।

इस राशि का विचार न करने के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 10.22 करोड़ से कम बताये गये तथा तदनुसार एल एफ एवं एस यू सी का कम भुगतान क्रमशः ₹ 1.08 करोड़ एवं ₹ 0.66 करोड़ हुआ (अनुलग्नक 4.12)।

4.4 अन्य मामलों के कारण राजस्व भोयर का कम/गैर-भुगतान

4.4.1 बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋणों के कारण अस्वीकार्य कटौती

उपरोक्त पैरा 1.2 में उल्लिखित लाइसेंस शर्तों के अनुसार, बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण ए जी आर की गणना के लिए जी आर से कटौती के रूप में मान्य नहीं थे।

2010-11 से 2014-15 की अवधि से सम्बन्धित राजस्व व लाइसेंस फीस (ए जी आर विवरणी) की लेखापरीक्षित विवरणी की जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान 15 एल एस ए में जी आर से बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों ₹ 113.68 करोड़ का कटौती के रूप में दावा किया गया था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि टी डी सैट के निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2007 के आधार पर, वार्षिक लेखापरीक्षित ए जी आर तैयार करते समय कम्पनी ने 2013-14 के दौरान 15 एल एस ए के लिये बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों की कटौती की थी। तथापि, दूरसंचार विभाग को एल एफ व एस यू सी का भुगतान करते समय कम्पनी ने बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों की कटौती नहीं ली थी और इस सीमा तक एल एफ एवं एस यू सी का अधिक भुगतान किया गया था। तदनुसार, लेखापरीक्षित ए जी आर में बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों का दावा करने से सरकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षित एजीआर विवरणी में बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों हेतु छूट का दावा किया गया है तथा डी ओ टी का मूल्यांकन लेखापरीक्षित एजीआर विवरणी पर आधारित होगा। तदर्थ रूप में किये गये भुगतान को इस मद के विरुद्ध भुगतान नहीं माना जा सकता।

अतएव, ₹ 113.68 करोड़ की धनराशि जी आर/ए जी आर में कम बताई गई थी जिसके परिणामस्वरूप एल एवं एस यू सी का कम भुगतान क्रमशः ₹ 9.09 करोड़ एवं ₹ 6.21 करोड़ हुआ (अनुलग्नक 4.13)।

4.4.2 एल एफ व एस यू सी के कम/गैर-भुगतान पर ब्याज

उपरोक्त (पैरा 4.2.1 से 4.4.1) में उठाये गये मामलों पर एल एफ व एस यू सी के कम/गैर-भुगतान की गयी राशि क्रमशः ₹ 708.92 करोड़ तथा ₹ 427.37 करोड़ होती है। एल एफ व एस यू सी के इस कम/गैर-भुगतान पर ब्याज ₹ 657.88 करोड़ (अनुलग्नक 4.14) है। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर पर आधारित थी अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की प्राइम लेन्डिंग रेट से 2 प्रतिशत उपर तथा गणना के लिये विचारित अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2016 तक थी। जैसा कि लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित था ब्याज मासिक आधार चक्रवृद्धि था।

4.4.3 यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के अन्तर्गत अनुलग्नक III में अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करना

यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के खंड 20.7 में व्यवस्था है कि वार्षिक वित्तीय लेखे तथा राजस्व एवं लाइसेंस फीस के विवरणी (ए जी आर विवरणी) अनुलग्नक में निर्धारित मानकों का पालन करते हुये तैयार किये जायेंगे। यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध का अनुलग्नक III वार्षिक वित्तीय विवरणी को तैयार करने के लिए मानकों की व्यवस्था प्रदान करता है। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत ए जी आर विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरणी तथा सम्बन्धित लेखांकन अभिलेखों की जांच से यह निर्दिष्ट हुआ कि इन सभी मानकों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। विशेष तौर पर, ऐसा प्रकट हुआ कि सेवा कर, बिक्री कर, डिस्काउंट/रिबेट, सामान की बिक्री, इन्वेन्टरी, व्यय एवं बिना बिल किये नम्बर के विरुद्ध आय के समंजन से सम्बन्धित मानकों का पालन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, कम्पनी द्वारा दिया गया मदवार उत्तर निम्नवत था:

- ओरेकल वित्तीय प्रणाली (ओ एफ एस) में सेवा कर/बिक्री कर दायित्यों तथा संग्रहण हेतु पृथक सामान्य बही खाते बनाये गये हैं।
- सामान की बिक्री होने पर, सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में व्यापार से सम्बन्धित पारिमाणिक विवरण तथा इन्वेन्टरी मूल्य-निर्धारण की लेखांकन नीति, जैसा कि कम्पनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित है, को वार्षिक वित्तीय विवरणी में पहले ही बता दिया गया था।
- इस मद के सम्बन्ध में कि विक्रय सकल दर्शाया जायेगा तथा अनुमत डिस्काउंट/छूट एवं विक्रय वापसी का विवरण अलग से दर्शाया जायेगा, कम्पनी ने बताया कि सेवा राजस्व के लिये लेखा ग्रुप, उस ग्रुपिंग में प्रयोजनार्थ सामान्य बही खाता कोड में आवश्यकताओं को दर्शाते हैं।

प्रतिवेदन में दर्शाये गये कम राजस्व के उदाहरण यह पुष्टि करेंगे कि लाइसेंस फीस के भुगतान के लिये पहचाने गये राजस्व न तो लाइसेंस शर्तों के अनुसार थे और न ही लेखों को तैयार करना दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के पूरी तरह अनुपालन में थे।

उदाहरणार्थ, मानकों के अनुसार राजस्व को सकल रूप में बिना किसी कटौती के दर्शाया जाना था। तथापि, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ में वर्णित है से यह देखा जा सकता था कि डिस्काउंट/कमीशन/माफी, निःशुल्क एयरटाईम आदि राजस्व से निबल कर दिये गये थे तथा दूरसंचार विभाग को नहीं बताया गया यद्यपि कम्पनी ने उत्तर दिया कि सेवा राजस्व, सम्बन्धित सामान्य बही खाते में आवश्यकताओं को दर्शाते हैं।

जैसा कि लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III जोकि महत्वपूर्ण था, के अन्तर्गत अपेक्षित है, दूरसंचार विभाग, पिछले कुछ वर्षों से सेवा प्रदाताओं को वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करने में मानकों का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी अनुदेश जारी करने तथा लागू करने में विफल रहा। परिणामतः वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, कम्पनी ने अपने जी आर/ए जी आर कम बताये तथा दूरसंचार विभाग इसका पता नहीं लगा सका।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, आई सी एल का जी आर ₹ 134383 करोड़ था, ₹ 39196 करोड़ की कटौती का दावा किया गया था तथा औसत कटौती प्रतिशतता जी आर का 29.17 प्रतिशत आती है। यद्यपि आई सी एल द्वारा दावा की गयी कटौतियों नियंत्रक संचार लेखा कार्यालयों (सी सी ए) द्वारा सत्यापन के अधीन थी, दूरसंचार विभाग स्तर पर सकल राजस्व के 70.83 प्रतिशत मात्र का मूल्यांकन केवल कम्पनी द्वारा की गई स्व-घोषणा के आधार पर है।

दूरसंचार विभाग का एल एफ विंग, लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III के अनुसार टी एस पी द्वारा तैयार की जाने वाली सूचनाओं को प्राप्त करने में असफल रहा तथा इस डाटा का अभाव सत्यापन व मूल्यांकन की प्रक्रिया को अप्रभावी कर देगा। इस प्रकार, सेवा प्रदाता के राजस्व शेयर का सम्पूर्ण सत्यापन व मूल्यांकन उनके जी आर के बजाय सेवा प्रदाताओं द्वारा दावा की गयी कटौतियों के सत्यापन पर केन्द्रित है।

4.5 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दूरसंचार विभाग/आई सी एल की प्रतिक्रिया

मैसर्स आई सी एल द्वारा भुगतान योग्य राजस्व शेयर पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, दूरसंचार विभाग तथा आई सी एल को सितम्बर 2016 के दौरान उनकी और टिप्पणी करने हेतु भेज दी गई थीं। आई सी एल ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में परिसर लेखापरीक्षा करते समय दिया गया अपना उत्तर एक बार पुनः दोहराया (सितम्बर 2016)। दूरसंचार विभाग का उत्तर पैरा 2.4 में वर्णित जैसा ही है।

